

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती ऐजी बनाम देवीलाल (कौस)

किस्म मुकदमा प्र. 15 फा. 111-128 नं० 94 सन 2027

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9.6.23	<p>वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 28.6.23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक क्लर्क माण्डल</p>	
28.6.23	<p>पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अनियान एवं महंगाई राहत कैंम्प 2023 गुप्त पत्रावली माण्डल में पेश हुई विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा. फ. छिये गये। प्रार्थना का जा. पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय धृष्टकसे लिखा जाकर शा. फ. छिया गया। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>हुक्मीचन्द रोहिलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अनियान 2023</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 94/23 प्रा०पत्र

1- श्रीमती ऐजा बीबी राधमल बैरवा निवासी-कौटडी तहसील-भीलवाडा

-प्रार्थी

बनाम

1- देवीलाल बीबी घीसा कुम्हार निवासी-पीघास तहसील-माण्डल (वर्ग 1)
(पृथक कित प्रा०पत्र संलग्न)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 28.6.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....पीघास.....पटवार हल्का.....पीघास.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 3059/1611, 3062/1611, 3126/2933 कुल कित्ता.....03.....रकबा.....0.6197.....हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.06.23.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम पीघास.....पटवार हल्का.....पीघास.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 3059/1611, 3062/1611, 3126/2933 कुल कित्ता.....03.....रकबा.....0.6197.....हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीघास.....को.....500/-रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023